



UPMZ010075282026

**न्यायालय Addl.Distt and Sess. Judge Court No-4/Special Judge (E.C.
Act), Muzaffarnagar**

पीठासीन अधिकारी- (Anurag Panwar), (उच्चतर न्यायिक सेवा) - UP02638

जमानत प्रार्थना-पत्र सं0-3015/2026

- 1- प्रियांशु उर्फ रोहन पुत्र संजय कुमार, निवासी-मौ0 लकूपुरा दक्षिणी भोकरहेडी, थाना-भोपा, जिला-मुजफ्फरनगर।
- 2- सौरभ उर्फ हिमांशु पुत्र राकेश, निवासी-नेहरू चौक भोकरहेडी, थाना-भोपा, जिला-मुजफ्फरनगर।

... अभियुक्तगण

बनाम

उ0प्र0 राज्य

... विपक्षी

मु0अ0 सं0-80/2026, अन्तर्गत धारा-318(4), 336(3), 338, 340(2), 61(2) बी0 एन0 एस0 व धारा-3/7 आवश्यक वस्तु अधि0, थाना-जानसठ, जिला-मुजफ्फरनगर के मामले में आवेदकगण प्रियांशु उर्फ रोहन व सौरभ उर्फ हिमांशु की ओर से यह प्रथम जमानत प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र प्रस्तुत किया गया है।

अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थना-पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बहस के दौरान कथन किया गया कि अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थना-पत्र है, अन्य कोई जमानत प्रार्थना-पत्र किसी अन्य न्यायालय में विचाराधीन नहीं है। उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है तथा झूठा फंसाया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट देरी से दर्ज करायी गयी है। उनसे कोई बरामदगी किसी प्रकार की नहीं है, न ही सह-अभियुक्तगण को जानते हैं। जिलाधिकारी की मुकदमा पंजीकृत किये जाने की कोई अनुमति नहीं ली गयी है। उनके विरुद्ध उपरोक्त धाराओं का कोई अपराध नहीं बनता है। उनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, न ही वह पूर्व सजायाफ्ता हैं। वे दिनांक 02.06.2026 से जिला कारागार में निरुद्ध हैं। अतः उन्हें जमानत पर रिहा करने की याचना की गयी है।

उक्त के विरोध में विद्वान विशेष लोक अभियोजक (आवश्यक वस्तु अधिनियम) द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि उस पर आरोप है कि अभियुक्तगण द्वारा अन्य सह-अभियुक्तगण के साथ मिलकर किसानों के अनुदानित यूरिया की कालाबाजारी की गयी है। सह-अभियुक्तगण रियासत आदि को मय 454 कट्टे यूरिया के मौके से पकड़ा गया है। अपराध गंभीर प्रकृति का है तथा उसके जमानत प्रार्थना-पत्र को निरस्त करने की प्रार्थना की गयी है।

संक्षेप में अभियोजन का कथन है कि दिनांक 01.06.2026 को वादी मुकदमा पंकज शर्मा द्वारा इस आशय की तहरीर थाना हाजा पर दर्ज करायी गयी कि दिनांक 01.06.2026 को वह उ0नि0 पंकज शर्मा मय हमराहीगण थाना हाजा से खाना लेकर देखरेख शान्ति व्यवस्था, चैकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन व तलाश वांछित अपराधी में खाना लेकर कवाल

पुल के नीचे चैकिंग में मामूर थे कि तभी ग्रामीण एस 0 ओ 0 जी 0 के हैं 0 कां 0-102 दीपक कुमार, कां 0-487 प्रशान्त सिरोही, कां 0-830 ललित मोरल, कां 0-1913 अशफाक मय मुखबिर के उपस्थित आये तथा मुखबिर की सूचना से अवगत कराया कि एक सफेद रंग की ओरा कार आ रही है, जिसमें दो व्यक्ति बैठे हुए हैं, वे व्यक्ति पीछे आ रही तीन गाड़ियों, जिनमें किसानों का यूरिया कालाबाजारी करके लाया जा रहा है। वह कार उनके आगे-आगे चलकर स्थिति के बारे में जानकारी देते रहते हैं, यदि मुस्तैदी दिखायी जाये तो चारों गाड़ियों को पकड़ा जा सकता है। इस सूचना पर विश्वास करके जिला कृषि अधिकारी श्री राहुल सिंह तेवतिया को जरिये दूरभाष अवगत कराया गया तथा वाहनो की चैकिंग करने लगे कि कुछ समय पश्चात जिला कृषि अधिकारी मु० नगर श्री राहुल सिंह तेवतिया आदि भी मौके पर उपस्थित आये। थोड़ी देर बाद कस्बा जानसठ की तरफ से एक सफेद रंग की ओरा कार आती हुई दिखायी दी, जिसको देखकर मुखबिर खास द्वारा इशारा करके बताया कि यह वही गाड़ी है, जोकि आगे आगे चल रही है तथा इसी के पीछे वे तीनों गाड़ी हैं, जिनमें कालाबाजारी करके अनुदानित यूरिया उर्वरक लाया जा रहा है। चारों गाड़ियों को रोक लिया तथा एक बारगी दबिश देकर गाड़ियों में बैठे लोगों को पकड़ लिया गया। ओरा गाड़ी में बैठे ड्राईवर से नाम पता पूछते हुए जामातलाशी ली गयी तो इसने अपना नाम तनवीर तेली पुत्र रफीक अहमद, नि०-पंडौली रोड नांगल, थाना-नांगल, जिला-सहारनपुर बताया तथा साईड में बैठे व्यक्ति से नाम पता पूछते हुए जामातलाशी ली गयी तो इसने अपना नाम राहिल राणा पुत्र अशरफ, नि०-ग्राम दौलतपुर, थाना-सदर, जिला-यमुनानगर हरियाणा बताया। ओरा कार को भौतिक रूप से चैक किया गया तो इसका नम्बर UP-11DT-1255 है, जिसकी नम्बर प्लेट पीले रंग की है। इसमें पिछली सीट पर पीले रंग के चार प्लास्टिक के अनुदानित यूरिया उर्वरक के कट्टे जिनमें से तीन कट्टो पर KRIBHCO मार्का व एक पर R.C.F मार्का के साथ साथ सभी पर प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना अंकित है, बरामद हुए। ओरा कार के पीछे एक ब्राऊन रंग की कैन्टर नम्बर UP-11CT-4917 की ड्राईवर सीट पर बैठे व्यक्ति से नाम पता पूछते हुए जामातलाशी ली गयी तो इसने अपना नाम रियासत पुत्र करामत अली, नि०-चैंदाहेडी, थाना-देवबन्द, जिला-सहारनपुर बताया। ट्रक को चैक कृषि अधिकारी की मौजूदगी में त्रिपाल हटाकर चैक किया गया तो ट्रक के H.U.R.L. कम्पनी मार्का के 350 अनुदानित यूरिया खाद के कट्टे भरे हैं, जेकि पीले रंग के प्लास्टिक के कट्टे में है तथा प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना अंकित है। कैन्टर के पीछे पिकअप गाड़ी सं०-HR-58B-2305 के ड्राईविंग सीट पर बैठे व्यक्ति से नाम पता पूछते हुए जामातलाशी ली गयी तो इसने अपना नाम मोहित पुत्र रामशरण, नि०-ग्राम तिगरा, थाना-सदर, जिला-यमुनानगर हरियाणा बताया, पिकअप को चैक किया गया तो इसमें 50 अनुदानित यूरिया खाद के कट्टे भरे हैं, जोकि पीले रंग के प्लास्टिक के कट्टे में है KRIBHCO मार्का है तथा प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना अंकित है। पिकअप के पीछे चौथी गाड़ी पिकअप नम्बर-HR-58D-5430 के ड्राईविंग सीट पर बैठे व्यक्ति से नाम-पता पूछते हुए जामातलाशी ली गयी तो इसने अपना नाम मनीष पुत्र पृथ्वी सिंह, नि० सादीपुर, थाना-सदर, जिला-यमुनानगर हरियाणा बताया गाड़ी को चैक किया गया तो इसमें भी 50 कट्टे अनुदानित यूरिया खाद भरे हैं, जोकि पीले रंग के प्लास्टिक के कट्टे में है KRIBHCO मार्का अंकित है तथा प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना अंकित है। देखने पर पाया गया कि उक्त यूरिया केवल कृषको को ही दिया जा सकता है। उक्त यूरिया के बारे में पकड़े गये सभी व्यक्तियों से पूछताछ की गयी तो तनवीर उपरोक्त ने ओरा गाड़ी में से

उपरोक्त तीनों गाड़ियों में रखे यूरिया उर्वरक के बिल निकालकर दिये। कृषि विभाग टीम द्वारा बिलों को देखकर बताया कि ये बिल फर्जी हैं, क्योंकि बिल पर कोई जी० एस० टी नम्बर अंकित नहीं है और न ही ई-वे-बिल इनके द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जिस पर पकड़े गये व्यक्तियों से सख्ती से पूछताछ की गयी तो सभी ने एक स्वर में बताया कि साहब उपरोक्त खाद के कट्टे वे सभी लोग मिलकर 1- सौरभ उर्फ हिमांशु पुत्र राकेश, नि०-नेहरू चौक, भौकरहेडी, थाना-भोपा, जिला-मुजफ्फरनगर, 2- प्रियांशु उर्फ रोहन पुत्र संजय कुमार, नि०-नंगला लक्खूपुरा दक्षिणी भौकरहेडी, थाना-भोपा, जिला-मुजफ्फरनगर, 3- सूर्य प्रताप उर्फ तुषार पुत्र रामकुमार चौहान, नि०-ग्राम मजलिसफुर तौफीर, थाना-भोपा, जिला-मुजफ्फरनगर की खाद की दुकान से खरीदते हैं। उक्त सभी दुकानदार किसानों के यूरिया को उन्हें अवैध रूप से तय कीमत से ज्यादा कीमत में बेच देते हैं, जिसे वे और अधिक दामों पर सतेन्द्र राणा, नि०-खजूरी यमुनानगर हरियाणा को बेच देते हैं तथा यह बिल वे सभी लोग मिलकर इन्हीं दुकानदारों से बनवा लेते हैं। उक्त के आधार पर मुकदमा कायम हुआ तथा कार्यवाही अमल में लायी गयी।

न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विद्वान विशेष लोक अभियोजक (आवश्यक वस्तु अधिनियम) के तर्कों को सुना गया व उपलब्ध प्रपत्रों (केस डायरी)/पत्रावली का सम्यक् अवलोकन व परिशीलन किया गया।

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण पर आरोप है कि उनके द्वारा अन्य सह-अभियुक्तगण के साथ मिलकर किसानों के अनुदानित यूरिया की कालाबाजारी की गयी है। सह-अभियुक्तगण रियासत आदि को मय 454 कट्टे यूरिया के मौके से पकड़ा गया है। अभियुक्तगण द्वारा गिरोह बनाकर कूटरचित फर्जी बिलों का उपयोग कर, अनुदानित यूरिया का दुरुपयोग कर, यूरिया की काला बाजारी अवैध धन कमाने के लिए की गयी है। सह-अभियुक्तगण रियासत आदि की जमानत इसी न्यायालय द्वारा पूर्व में निरस्त की जा चुकी है। अभियुक्तगण द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति एवं आर्थिक प्रवृत्ति का है। उक्त प्रकरण में विवेचना अभी प्रचलित है। उपरोक्त दृष्टिगत, जमानत का आधार पर्याप्त प्रतीत नहीं होता है। उक्त जमानत प्रार्थना-पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण प्रियांशु उर्फ रोहन पुत्र संजय कुमार व सौरभ उर्फ हिमांशु पुत्र राकेश द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना-पत्र निरस्त किया जाता है। उक्त आदेश की एक प्रति अभियुक्त को निःशुल्क प्रदान की जाये।

(अनुराग पंवार)

I.D. UP 2638

अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं०-4/
विशेष न्यायाधीश (ई० सी० एक्ट),
मुजफ्फरनगर।

दिनांक: 07-07-2026